न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, बाढ़
उपस्थिति :– राजकुमार चौधरी
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 150 / 2026
परिवाद पत्र संख्या 508(C) / 2024

---

1. रेणु देवी, पति–स्व0 रामजी प्रसाद, उम्र करीब 50 वर्ष,
2. ममता देवी, पति–मनोज कुमार, उम्र करीब 36 वर्ष,
3. मनोज कुमार, पिता–शिवदयाल प्रसाद, उम्र करीब 38 वर्ष

साकिन–मोकामा घाट, थाना–मोकामा, जिला–पटना.....आवेदक अभियुक्तगण

बनाम्

बिहार सरकार ..... विपक्षी

आवेदक अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता :– श्री रवि प्रकाश
परिवादिनी की ओर से विद्वान अधिवक्ता :– श्री धीरेन्द्र कुमार सिन्हा
बिहार सरकार की ओर से विद्वान अधिवक्ता :– मो0 एस0 आर0 रहमान

आदेश

07.03.2026

आवेदक अभियुक्त 1. रेणु देवी, 2. ममता देवी एवं 3. मनोज कुमार की ओर से गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन की प्रति अभियोजन को प्रदान किया गया है। यह वाद परिवाद पत्र संख्या 508(C) / 2024, अंतर्गत धारा 115(2), 85 भारतीय न्याय संहिता से सम्बंधित है।

आवेदक अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता जमानत आवेदन को संचालित करते हैं तथा निवेदन करते हैं कि आवेदक अभियुक्तगण की ओर से पूर्व में कोई अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन सत्र न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक अभियुक्तगण निर्दोष है, इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है तथा इन्हें झूठे एवं बनावटी वाद में फॅसाया गया है। जैसा घटना परिवाद पत्र में कहा गया है, वैसी कोई घटना नहीं घटी है। सम्पूर्ण अभियोजन कथानक झूठा एवं बनावटी है तथा आवेदकगण को परेशान करने एवं दबाव बनाने के लिए किया गया है। परिवादिनी स्वयं अपने पति के साथ रहना नहीं चाहती है और आवेदकगण के विरुद्ध झूठा मुकदमा की है। आवेदकगण को पति–पत्नी के मामलों से कोई लेना–देना नहीं है और इनलोगों को झूठे मामले में घसीटा गया है। यदि पति अपनी पत्नी को सम्मान पूर्वक रखने को तैयार है तो आवेदकगण को इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आवेदकगण कानून को पालन करने वाले नागरिक हैं और इनके विरुद्ध कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक अभियुक्तगण न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तों को मानने एवं सक्षम जमानतदार देने को तैयार हैं। अतः आवेदक अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाय।

अभियोजन एवं सूचक के विद्वान अधिवक्ता जमानत का विरोध करते हैं तथा कहते हैं कि ममता देवी ही इस वाद की मुख्य अभियुक्ता हैं और उनके इशारे पर हीं वादिनी को तंग और परेशान किया जा रहा है। इसलिए इनका आवेदन खारिज किया जाय।

प्रस्तुत वाद परिवाद पत्र पर आधारित है। अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि इस वाद की वादिनी रुबी कुमारी है। वादिनी परिवाद पत्र में कथन की है कि इनकी शादी हिन्दु रीति–रिवाज से दिनांक 22.05.23 को अविनाश कुमार उर्फ चंदन के साथ हुई थी। शादी में इनके पिता अपनी क्षमता के अनुसार 5 लाख रुपया एवं एक लाख रुपया आर.टी.जी.एस. के माध्यम से अभियुक्त बिट्टु कुमार को दिया था, इसके अलावे अन्य सामान दिया गया था। शादी के बाद वादिनी ससुराल गई, जहॉ दो माह ठीक से रही और वापस अपने मायके आ गई। दुर्गापूजा दशमी को अविनाश कुमार तथा बिट्टु कुमार रोकसदी कराकर ले गये, उस समय भी कुछ समान दिया गया था। जब वादिनी ससुराल गई तो अभियुक्तगण मिलकर कार देने का दबाव देने लगे, गाली–गलौज करने तथा मानसिक एवं शारीरिक रुप

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, बाढ़
उपस्थिति :– राजकुमार चौधरी
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 150 / 2026
परिवाद पत्र संख्या 508(C) / 2024

लगातार
07.03.2026

से प्रताड़ित करने लगे। वादिनी अपने मायके वालों को खबर की और समझौता कराने का प्रयास किया गया, परन्तु समझौता में कार के मांग पर अड़े रहे और अंततः समझौता नहीं हो सका। वादिनी मायके आने लगी तो अभियुक्त रेणु देवी, ममता देवी, बिट्टु कुमार एवं अविनाश कुमार उर्फ चंदन कुमार उर्फ वरुण कुमार परिवादी का सारा जेबर छीनकर रख लिये तथा परिवादी को घर से भगा दिये। वादिनी को इसी वर्ष शिक्षिका की नौकरी लग गयी और मधेपुरा में नौकरी करने लगी। नौकरी से छुट्टी में आयी तो अपनी मां एवं अन्य के साथ ससुराल गयी तो तनख्वाह का हिसाब मांगने लगे और वादिनी जब रुपया देने से इंकार की तो मारपीट करके घर से भगा दिया तथा धमकी दिये की अगर मुकदमा की तो तुम्हें बदनाम कर देंगे और जीने लायक नहीं रहने देंगे।

उभयपक्षों को सुना। जमानत आवेदन एवं आवेदन के साथ विचारण न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। इस वाद में अंतर्गत धारा 85, 115(2) भारतीय न्याय संहिता में आवेदक अभियुक्तों के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला पाया गया है। प्रस्तुत वाद में कुल–2 साक्षियों का साक्ष्य कराया गया है जो वादिनी के पड़ोसी एवं मॉ हैं, जिन्होंने घटना का समर्थन किया है। आवेदक अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक अभियुक्तगण वादिनी के सास, ममिया सास एवं ममिया ससुर हैं, जिनका इस वाद में कोई भूमिका नहीं है। आवेदक संख्या–1. की उम्र लगभग 50 वर्ष एवं आवेदक संख्या–2 एवं 3 की उम्र क्रमशः लगभग 36 एवं 38 वर्ष है। प्रस्तुत वाद में मारपीट करने एवं दहेज के रुप में कार मांग करने का आरोप है, जो विशिष्ट तौर पर आवेदक अभियुक्तगण पर नहीं है। आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता अपने निवेदन में कहते हैं कि वादिनी को उसका पति स–सशर्त आदर एवं सम्मान के साथ रखने को तैयार है। वादिनी नवीन वकालतनामा दाखिल कर अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ न्यायालय में उपस्थित है। वादिनी द्वारा न्यायालय को बताया गया कि पति बंधन बैंक में नौकरी करते थे, जहां से उन्हें निष्कासित कर दिया गया है और मैं वर्तमान में मधेपुरा में शिक्षिका के पद पर कार्यरत हूँ। प्रताड़ित किये जाने का कथन करती है और न्यायालय द्वारा पूछे जाने पर कहती है कि मैं अपने पति के साथ रहने को तैयार नहीं हूँ। आवेदक अभियुक्तगण वादनी के सास तथा ममिया सास एवं ससुर हैं जबकि इस वाद में मुख्य जिम्मेवारी पति पर है। पति इस जमानत आवेदन में आवेदक नहीं है। प्रस्तुत वाद में आरोपित धारा आवेदक अभियुक्तगण के विरुद्ध परिलक्षित होता हुआ प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों पर विचार करने के उपरांत आवेदक अभियुक्तगण 1. रेणु देवी, 2. ममता देवी एवं 3. मनोज कुमार को अग्रिम जमानत पर मुक्त करना मैं उचित समझता हूँ। इनका अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है। फलतः आदेश की तिथि से 30 दिनों के अन्दर न्यायालय में आत्समर्पण करने या गिरफ्तार होने की दशा में मो0 10,000 रूपये के शपथयुक्त बंधपत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभू दाखिल करने के उपरांत जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है

(लेखापित / शुद्धित)

(राजकुमार चौधरी)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम बाढ़